झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

एकादश (शीतकालीन) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-147 के अन्तर्गत दिनांक- 14/12/2017 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1.	2.	3.	4.
01-	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी एवं श्री गणेश गंझू स0वि0स0	राज्य में अबतक सभी श्रेणियों के ठीकेदारों की संख्या 200/-(दो सौ) से अधिक हैं। परन्तु अगर राज्य के सभी जिलों में देखी जाय तो विभाग द्वारा निकाले गए निविदाओं में निविदादाताओं का चयन में कुछ खास गीने-चुने ठीकेदारों को ही कार्य आवंटित होती है और पूरे राज्य में वैसे ठीकेदारों की संख्या अगर देखी जाये तो मात्र 20-22 ठीकेदार ही ऐसे है जिन्हें निविदाओं के माध्यम से कार्य आवंटित होती है। उल्लेखनीय है कि सरकारी स्तर पर समय-समय पर यह अधिसूचना निर्गत की जाती है कि अब नये पंजीकृत ठीकेदारों को भी निविदा के माध्यम से कार्य आवंटित की जाएगी। परन्तु विभागीय अभियन्ताओं और ठीकेदारो की गठजोड राज्य में इतनी प्रभावी है कि बेचारे नये ठीकेदारों को कार्य नहीं मिलती है। इतना ही नहीं राज्य के कई जिलों में अनेको कार्य ऐसे है जिसमें अभियन्ताओं एवं ठिकेदारों के गठजोड़ के कारण निविदादाताओं को 10% ऊचें दरों पर कार्य आवंटित की गयी है, जिससे प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये राशि की वित्तीय अनियमितता तथा सरकारी राशि का दुरूपयोग हो रही है। और राज्य में कई बार ऐसे मामलों का पर्दाफास हो चुकी है, परन्तु दोषी अभियन्ताओं तथा ठीकेदारों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। क्यों नहीं सरकार ऐसे सभी कार्यो की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषी अभियन्ताओं के साथ-साथ ठीकेदारों को चिन्हित कर निर्धारित समय सीमा के अन्दर त्वरित कार्रवाई करें?	पेयजल एवं स्वच्छता

क्र0पृ0उ0-

1.	2.	3.	4.
02-	श्री मनीष जायसवाल स०वि०स०	राज्य में अनेक छात्रों ने अपने विश्वविद्यालयों एवं अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के अलावे अन्य राज्यों से Life Science Faculty के Allied Subject अन्तर्गत Biological Science/ BioScience Botany, Zoology, Microbiology, Bino chemistry, Biotechnology, Molecular Biology एवं Genetics आदि में अनेकों छात्रों ने स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। परन्तु यहाँ के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अबतक सिर्फ Botany/ Zoology विषय के ही पद सृजित है साथ ही उक्त दोनों विषयों में Common Topics के रूप में Plant Biobiversity एवं Aninmal Biodiversity भी पढ़ना होता है जिसे स्नातक स्तर पे Subsidiary/ एलेक्टिवे के तौर पर उक्त सभी विषयों के छात्र अनिवार्य रूप से पढ़ते है उल्लेखनीय है की कि राज्य के Life Science के Allied Subject में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त छात्राको झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक पद हेतु Botany/ zoology विषयों के विज्ञापित पदों में योग्य नहीं माने जाते है जबकि देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों में विज्ञापित नियुक्ति में उक्त सभी विषयों के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त छात्रों को भी Botany/ Zoology विषयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में साक्षात्कार हेतु बुलाये जाते है। तत्पश्चात राज्य के कुलाधिपति के हस्तक्षेप पर अबतक सिर्फ विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने अपने Academic Council की बैठक में Life Science के Allied Subject में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त छात्रों को Biology/ Zoology आदि विषयों में सहायक प्राध्यापक पद हेतु योग्य घोषित कर दी है परन्तु अबतक झारखण्ड राज्य लोक आयोग द्वारा उक्त स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त छात्रों उक्त विषयों के सहायक प्राध्यापक पद हेतु साक्षात्कार में नहीं बुलाई जा रही है। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उक्त गंभीर मामले की ओर आकृष्ट कराना चाहेगें।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

कृ०पृ०उ०-

1.	2.	3.	4.
03-	सर्वश्री अरूप चटर्जी, राजकुमार यादव एवं श्री रवीन्द्रनाथ महतो स०वि०स०	झारखण्ड राज्य के लगभग 15 लाख गरीब मजदूर मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई एवं अन्य बड़े शहरों में मजदूरी करने हेतु जाते है। वहाँ उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय होती है कि वे स्वयं या अपने परिवार के साथ सड़कों पर रात गुजारते है तथा आर्थिक और शारीरिक शोषण के शिकार होते है। राज्य में रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध नहीं होने के कारण मजदूर रोजगार हेतु पलायन करते है। राज्य के मजदूर अन्य राज्यों में भी सुरक्षित रहे यह सरकार का दायित्व है। अतः मैं सदन के माध्यम से मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद एवं चेन्नई आदि शहरों में झारखण्ड के मजदूरों के लिए श्रमिक भवन बनाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय
04-	श्री बादल स०वि०स०	कृपया विदित हो की प्रत्येक वर्ष राज्य के सभी जिलों में आगजनी की घटना से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तथा उनके सम्पति को भारी क्षति पहुँचती है। आगजनी से हुए क्षति की क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नहीं रहने के कारण प्रभावितों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। विगत दिनो बासुकीनाथ में आगजनी से 22 दुकान जल गए जिसका भी मुआवजा नहीं दिया गया है। अतः वज्रपात से मृत्यु में दिए जा रहे मुआवजा प्रावधान की भाँति आगजनी से हुई मृत्यु तथा सम्पति की क्षति पीड़ित परिवार के आश्रितों को अपदा प्रबंधन विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति/ मुआवजा के भुगतान हेतु विशेष प्रावधान करने के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन
05	श्री अशोक कुमार एवं श्री राधाकृष्ण किशोर स०वि०स०	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत गरीबों को दिये जानेवाले आवास 2011 के सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (SECC डाटा) को आधार मानकर एक-दो या तीन मिट्टी-फूस के कमरों वाले परिवारों की एक प्राथमिकता सूची तैयार कराई गई है, जिसके आधार पर प्राथमिकता के तहत गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। परन्तु एक बड़ी संख्या में झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों का प्राथमिकता सूची में नाम अंकित नहीं है। उदाहरण स्वरूप गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखण्ड अन्तर्गत गड़ांडा पंचायत के वंचित करीब 350 गरीब हरिजन एवं आदिवासी परिवारों का SECC डाटा में सम्पूर्ण ब्योरा दर्ज होने के बावजूद भी उनका नाम	भवन निर्माण

कृ०पृ०उ०-

1.	2.	3.	4.
		प्रधानमंत्री आवास योजना के प्राथमिकता सूची में अंकित नहीं है, जबकि सभी परिवार एक या दो कमरे वाले मिट्टी-फूस के घर (झोपड़ी) में रह रहे है। यह स्थिति गोड्डा जिला के लगभग सभी प्रखण्डों के कमोबेस सभी पंचायतों में है। अतः गोड्डा जिला के महागामा, मेहरमा एवं ठाकुरगंगटी प्रखण्डों के साथ-साथ जिले के अन्य प्रखण्डों में वंचित वैसे गरीब परिवार जो एक या दो कमरे वाले मिट्टी-फूस के घर (झोपड़ी) में रह रहे हो, उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के प्राथमिकता सूची में दर्ज कराते हुए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते है।	

राँची,
दिनांक- 14 दिसम्बर, 2017 ई०।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं०- ध्या०एवं अना०प्र०- 59/2017...2867.../वि०स०, राँची, दिनांक- 13/12/17

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के मा० सदस्यगण/ मा० मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, सहकारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17

(एस० शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं०- ध्या०एवं अना०प्र०- 59/2017...2867.../वि०स०, राँची, दिनांक- 13/12/17

प्रति :- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

13/12/17

उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

13/12